

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बरेली।

समयबद्ध/ई0मेल के माध्यम से

सेवा में,

1. जिला विद्यालय निरीक्षक,
बरेली।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

पत्रांक:-मु0वि�0अ0 / जिऽत0नि0प्रकोष्ठ / 2021-22 / 7285

दिनांक: 08.09.2021

विषय:-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक् महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021/9039 दिनांक 02.09.2021 के अनुपालन में जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। साथ ही आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार स्तर पर दिनांक 10.08.2021 को जारी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2021) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत विद्यार्थियों में से 22 प्रतिशत लड़कों एवं 24 प्रतिशत लड़कियों द्वारा किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पादों का उपभोग, 22 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान (Second Hand Smoke) किया जा रहा है। जो देश के अन्य राज्यों से बहुत अधिक एवं युवाओं के भविष्य को देखते हुए विचलित करने वाला है।

उक्त क्रम में भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी01602/03/9017-22 दिनांक 14 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से पत्र में उल्लिखित निम्न 03 बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये दिनांक 15 अगस्त, 2021 से 02 अक्टूबर, 2021 तक जागरूकता अभियान, इन्फोर्समेंट की कार्यवाही एवं शपथ दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

1. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों को न बेचना।
2. शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद की दुकानें नहीं होनी चाहिए।
3. विद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान प्रतिबन्धित होना चाहिए।

उपरोक्त के साथ-साथ निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर उल्लिखित गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Sr.No.	Activity	Timeline
1	Completion of self-Assessment checklist in all educational	Up to 15 th September, 2021
2	Organization of at least one tobacco control activity	
3	Taking pledge against tobacco use	
4	Marking of 100 yards area from the outer limit of boundary wall/fence of the Education Institutions (WL)	15 th September- 31 st October, 2021
5	No shops selling tobacco products within 100 yards of the Educational Institute	
6	Final evaluation and ToFEI certificate	1 th Nov.-14 th Nov., 2021

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त तालिकानुसार जागरूकता अभियान, इन्फोर्समेंट की कार्यवाही एवं शपथ दिलाये जाने हेतु सघन अभियान चलाये हुये (स्वमूल्यांकन स्कोर कार्ड का अनुसरण करते हुये) उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराये जाने एवं संकलित सूचना जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की ई0मेलआइडी-ncdcbsbareilly@gmail.com पर एवं वॉट्सअप नम्बर-9457474631 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बरेली।

तददिनांक

पत्रांक:-मु0वि�0अ0 / जिऽत0नि0प्रकोष्ठ / 2021-22

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
2. उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।

3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी एन०टी०सी०पी०, स्वास्थ्य भवन उ०प्र०० लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें बरेली मण्डल, बरेली।
5. जिलाधिकारी, महोदय, बरेली।
6. जिला नोडल अधिकारी, एन०टी०सी०पी०, बरेली।
7. सह नोडल अधिकारी, एन०टी०सी०पी०, बरेली को इस आशय से प्रेषित की आप उक्त गाइड लाईन का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
8. अधिशासी निदेशक, उ०प्र०० हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वह उक्त गतिविधियों में सहयोग प्रदान करने के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बरेली।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बरेली।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बरेली।

सेवा में,

1. जिला विद्यालय निरीक्षक,
बरेली।
2. जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

पत्रांक:-मु०चि०अ०/जि०त०नि०प्रकोष्ठ/2021-22

दिनांक: 08.09.2021

विषय:-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक् महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021/9039 दिनांक 02.09.2021 के अनुपालन में जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। साथ ही आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार स्तर पर दिनांक 10.08.2021 को जारी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2021) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत विद्यार्थियों में से 22 प्रतिशत लड़कों एवं 24 प्रतिशत लड़कियों द्वारा किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पादों का उपभोग, 22 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान (Second Hand Smoke) किया जा रहा है। जो देश के अन्य राज्यों से बहुत अधिक एवं युवाओं के भविष्य को देखते हुए विचलित करने वाला है।

उक्त क्रम में भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी०1602/०३/९०१७-२२ दिनांक 14 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से पत्र में उल्लिखित निम्न 03 बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये दिनांक 15 अगस्त, 2021 से 02 अक्टूबर, 2021 तक जागरूकता अभियान, इन्फोर्मेंट की कार्यवाही एवं शपथ दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

1. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों को न बैंचना।
2. शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद की दुकानें नहीं होनी चाहिए।
3. विद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान प्रतिबन्धित होना चाहिए।

उपरोक्त के साथ-साथ निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर उल्लिखित गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Sr.No.	Activity	Timeline
1	Completion of self -Assessment checklist in all educational	Up to 15 th September, 2021
2	Organization of at least one tobacco control activity	
3	Taking pledge against tobacco use	
4	Marking of 100 yards area from the outer limit of boundary wall/fence of the Education Institutions (WL)	15 th September- 31 st October, 2021
5	No shops selling tobacco products within 100 yards of the Educational Institute	
6	Final evaluation and ToFEI certificate	1 st Nov.-14 th Nov., 2021

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त तालिकानुसार जागरूकता अभियान, इन्फोर्मेंट की कार्यवाही एवं शपथ दिलाये जाने हेतु सघन अभियान चलाये हुये (स्वमूल्यांकन स्कोर कार्ड का अनुसरण करते हुये) उपरोक्तानुसार ई०मेलआइडी-npcdcsbareilly@gmail.com पर एवं व्हॉट्सअप नम्बर-9457474631 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बरेली।


तद्दिनांक

पत्रांक:-मु०चि०अ०/जि०त०नि०प्रकोष्ठ/2021-22 / 7285

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० लखनऊ।
2. उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी० राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० लखनऊ।

3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी एन०टी०सी०पी०, स्वास्थ्य भवन उ०प्र०० लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें बरेली मण्डल, बरेली।
5. जिलाधिकारी, महोदय, बरेली।
6. जिला नोडल अधिकारी, एन०टी०सी०पी०, बरेली।
7. सह नोडल अधिकारी, एन०टी०सी०पी०, बरेली को इस आशय से प्रेषित की आप उक्त गाइड लाईन का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
8. अधिशासी निदेशक, उ०प्र०० हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वह उक्त गतिविधियों में सहयोग प्रदान करने के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बरेली।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बरेली।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021-22/

लखनऊ/दिनांक : 02.09.2021

विषय:-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा जारी **Global Youth Tobacco Survey (2021)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से भारत सरकार स्तर पर दिनांक 10.08.2021 को जारी **Global Youth Tobacco Survey (2021)** के अनुसार उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत विद्यार्थियों में से 22 प्रतिशत लड़कों एवं 24 प्रतिशत लड़कियों द्वारा किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पादों का उपभोग, 22 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान (Second hand smoke) किया जा रहा है।

कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021-22/ 9017-22, दिनांक 25.08.2021, पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021-22/ 9002-5, दिनांक 18.08.2021, पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021-22/ 9007-10, दिनांक 18.08.2021 एवं पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021-22/ 9012-15, दिनांक 18.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

उक्त के क्रम में भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी016012/03/2021/टी0सी0, दिनांक 14 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पत्र में उल्लिखित निम्न 3 बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 15 अगस्त, 2021 से 02 अक्टूबर, 2021 तक जागरूकता अभियान, इन्फोर्मेंट की कार्यवाही एवं शपथ दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:-

1-18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों को न बेचना।

2-शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद की दुकानें नहीं होनी चाहिए।

3-विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान प्रतिबन्धित होना चाहिए।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-पी016012/16/2017/टी0सी0, दिनांक 31 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार उल्लिखित गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Sl.No.	Activity	Timeline
1	Completion of self-Assessment checklist in all educational institutions	Up to 15 th September, 2021
2	Organization of at least one tobacco control activity.	
3	Taking pledge against toccco use	
4	Marking of 100 yards area from the outer limit of boundary wall/fence of the Educational Institutions (EI).	15 th September- 31 st October, 2021
5	No shops selling tobacco products within 100 yards of the educational institute.	
6	Final evaluation and ToFEI certificate	1 st November-14 th November, 2021

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक ०३ सितम्बर, 2021 से १५ अक्टूबर, 2021 तक जागरूकता अभियान, इन्फोर्समेंट की कार्यवाही एवं शापथ दिलाये जाने हेतु सघन अभियान चलाते हुए (स्वमूल्यांकन स्कोर कार्ड का अनुसरण करते हुए) (छायाप्रति संलग्न) उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाये जाने एवं संकलित सूचना महानिदेशालय की ई-मेल-nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध करवाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त


भवदीय,

निदेशक (स्वास्थ्य)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
तददिनांक :

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2020-21/ ९०४०- ५६


प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित :

- 1—अनु सचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2—अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 4—स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०।
- 5—समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6—उप महाप्रबन्धक, एन०सी०डी०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
- 7—समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि आप उपरोक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा अपने स्तर से भी करने का कष्ट करें।


संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

Self-Evaluation Score Card for ToFEI

Sl.No.	Criteria	Weightage Points	Scored Points by Educational Institutions.
1	Display of "Tobacco Free Area" signage inside the premise of Educational Institute at all prominent place(s).	Mandatory (10)	
	The name/designation/contact number are mentioned/updated in the signage.	Mandatory (10)	
2	Display of "Tobacco Free Education Institution" signage at entrance/Boundary wall of Education Institute.	Mandatory (10)	
	The name/designation/contact number are mentioned/updated in the signage.	Mandatory (10)	
3	No evidence of use tobacco products inside the premise i.e. cigarette/beedi butts or discarded gutka/tobacco pouches, spitting spots.	Mandatory (10)	
4	Poster or other awareness materials on harm of tobacco displayed in the premise.	9	
5	Organisation of at least one tobacco control activity during last 6 months.	9	
6	Designation of Tobacco Monitors and their names, designations, and contact number are mentioned on the signages.	9	
7	Inclusion of "No tobacco Use" norm in the Educational Institutions code of conduct guidelines.	9	
8	Marking of 100 yards area from the outer limit of boundary wall /fence of the Educational Institutions.	7	
9	No shops selling tobacco products within 100 yards of the Educational Institute.	7	


 02/09/2021